राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

कमांक: एफ 40(125)ग्रावि/नरेगा/RLR/2020/RK-00002 जयपुर दिनांक: 14 OCT 2020

**जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं**
**जिला कलक्टर, धौलपुर, सवाई माधोपुर,**
**कोटा, टोंक, करौली, बूंदी एवं भरतपुर।**

**विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत Ravines Land Reclamation (RLR) परियोजनान्तर्गत तैयार किये जा रहे GIS Based Plans का मिशन जल संरक्षण कार्यों हेतु गठित जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदन कराने बाबत।**

**प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 06.10.2020।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत Ravines Land Reclamation (RLR) परियोजना के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। विभागीय पत्र दिनांक 17.12.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत तैयार किये जा रहे GIS Based Plans का मिशन जल संरक्षण कार्यों हेतु गठित जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। कृपया महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत Ravines Land Reclamation (RLR) परियोजनान्तर्गत तैयार किये जा रहे GIS Based Plans का नियमानुसार अनुमोदन भी उक्त जिला स्तरीय कमेटी से ही कराया जाना सुनिश्चित करावें ।

**भवदीय**

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

**(पी.सी. किशन)**
**आयुक्त, ईजीएस**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

59

**राजस्थान सरकार**
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक: एफ 40(106)ग्रावि/नरेगा/Con.-PMKSY/Part-2/2016(पार्ट–1)/RK-00608 जयपुर, दिनांक: 17.12.2018
17 DEC 2018

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषयः–महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत तैयार किये जा रहे GIS Based INRM Plan का मिशन जल संरक्षण कार्यों हेतु गठित जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदन कराने बाबत।

प्रसंगः– समसंख्यक पत्र दिनांक 09.11.2017।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दिनाक 09.11.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मिशन जल संरक्षण के अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन कार्यों की मॉनीटरिंग हेतु गठित कमेटी के आदेश की प्रति भिजवाई गई थी। उक्त कमेटी को योजनान्तर्गत मिशन जल संरक्षण कार्यों की योजना के निर्माण, परीक्षण, अनुमोदन, क्रियान्वयन एवं मोनीटरिंग हेतु अधिकृत किया गया है।

कृपया महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिले में तैयार किये जा रहे GIS Based INRM Plan का नियमानुसार अनुमोदन उक्त जिला स्तरीय कमेटी से कराने का श्रम करे।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक आदेश (प्रति संलग्न) द्वारा जिला स्तर पर मिशन जल संरक्षण अन्तर्गत कार्यों की योजना के निर्माण, परीक्षण, अनुमोदन, क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की जिला स्तरीय कमेटी को अधिकृत किया गया है। इन कार्यों की समीक्षा हेतु सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, जिला परियोजना प्रबन्धक, राजीविका, स्टेट रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

उक्त कमेटी के सदस्य सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद है। जिला स्तर पर उक्त कमेटी की नियमित बैठकें आयोजित की जाकर मिशन जल संरक्षण के तहत चिन्हित ब्लॉक में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन कार्यों पर कुल व्यय का कम से कम 65 प्रतिशत व्यय होना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह कैन)
परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
3. अति जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, समस्त।
4. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।
5. श्री रिंकु, एमआईएस मैनेजर को वैबसाइट पर अपलोड़ करने बाबत।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

599

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक:प.6(17)प्र.सु./अनु.3/2016 जयपुर, दिनांक 1-11-2017
1 NOV 2017

## कार्यालय आदेश

भारत सरकार द्वारा जारी मिशन जल संरक्षण दिशा–निर्देशों के तहत महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) एवं समेकित वाटरशैड प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) एवं अन्य योजनाओं के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन (NRM) फ्रेम वर्क सम्बन्धी कार्य करवाये जाने है। महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत इन कार्यों के लिए योजना निर्माण, परीक्षण, अनुमोदन, क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु आवश्यक कार्यवाही जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में की जानी है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की समीक्षा हेतु आदेश समसंख्यक दिनांक 16.03.2016 द्वारा राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कमेटियाँ गठित है। जिला स्तर पर मिशन जल संरक्षण अन्तर्गत कार्यों की योजना के निर्माण, परीक्षण, अनुमोदन क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की जिला स्तरीय कमेटी को अधिकृत किया जाता है। इन कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में निम्न अधिकारियों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जावे–

| | |
|---|---|
| 1. | जिला स्तरीय अधिकारी, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग |
| 2. | जिला परियोजना प्रबन्धक, राजीविका। |
| 3. | प्रतिनिधि, स्टेट रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर (SRSAC), जोधपुर। |
| 4. | प्रतिनिधि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। |

मिशन जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा हेतु जिला स्तर पर उक्त कमेटी की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार अथवा आवश्यकतानुसार आयोजित की जा सकेगी। कमेटी के दायित्व संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार होंगे।

समिति का प्रशासनिक विभाग पंचायती राज विभाग होगा।

समस्त।

15. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस। सदर्भ सं. एफ.40(106)RD/NREGA/convergence-PMKSY / Pt.2/ 2016part(1).
16. परियोजना निदेशक, स्टेट रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर (SRSAC), जोधपुर।
17. मुख्य परिचालन अधिकारी (COM), राजीविका, उद्योग भवन, जयपुर।
18. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।

01/11/13

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी

नोटः– भविष्य में इस समिति से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार समिति के प्रशासनिक विभाग से ही करें।

## मिशन वाटर कन्जर्वेशन कार्यों हेतु गठित कमेटी के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेन्स

कमेटी निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी :–

1. चिन्हित Over exploited & critical blocks के साथ–साथ शेष ब्लॉक्स में भी एनआरएम से सम्बन्धित कार्यों के लिये महात्मा गांधी नरेगा के तहत INRM Plan जीआईएस तकनीक का उपयोग करते हुए तैयार करने बाबत आवश्यक कार्यवाही, तकनीकी सहयोग, प्लान का परीक्षण एवं अनुमोदन करना।
2. NRM से सम्बन्धित प्रस्तावित कार्यों के Outcomes का समावेशन।
3. RRSC एवं स्टेट रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर द्वारा प्लान तैयार करने के लिए आवश्यक जीआईएस तकनीक उपलब्ध कराना। इस सम्बन्ध में सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का आवश्यकतानुसार सहयोग भी प्राप्त किया जाना।
4. सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड द्वारा एक्यूफर मैप्स एवं एक्यूफर मैनेजमेन्ट प्लान उपलब्ध कराना।
5. काजरी एवं ऑफरी, जोधपुर द्वारा एनआरएम कार्यों के लिए लोकेशन स्पेशिफिक, लिए जाने वाले कार्यों हेतु सुझाव एवं मॉडल तकमीने उपलब्ध कराना।
6. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एनआरएम से सम्बन्धित कम से कम 65 प्रतिशत कार्य (Over exploited & Critical blocks में) आगामी वार्षिक कार्य योजनाओं में सम्मिलित किये जावे।
7. जल संसाधन विभाग/पंचायती राज संस्थाओं के मृत जल निकायों (Defunct Water Bodies) के पुनरुद्धार कार्य को प्राथमिकता के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा योजना की राशि से कन्वर्जेन्स के तहत कराये जाने हेतु प्लान में सम्मिलित किया जावें। साथ ही NRM सम्बन्धी अन्य क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनरुद्धार कार्य भी सम्मिलित किया जावे।
8. एनआरएम से सम्बन्धित लाइन विभागों की गतिविधियों को प्लान में माननीय न्यायालय के निर्णयों एवं सम्बन्धित योजनाओं के दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए सम्मिलित किया जाना।
9. कार्यों के सम्पादन/क्रियान्विती में आ रही समस्याओं का चिन्हीकरण कर, निस्तारण एवं राज्य सरकार को सुझाव।
10. जल संग्रहण संरचनाओं में जितनी मात्रा में मिट्टी खोदना प्रस्तावित किया जाता है, उतनी मिट्टी मौके पर खुदी है अथवा नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विकल्पों

...स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदया की ... की पूर्ति एवं अभियान के सुचारू
राज्य जल स्वावलम्बन अभियान का गठन निम्नानुसार किया जाता है :— अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त

| | | |
|---|---|---|
| 1 | माननीय मुख्यमंत्री | अध्यक्ष |
| 2 | माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग | सदस्य |
| 3 | माननीय वित्त मंत्री | सदस्य |
| 4 | माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग | सदस्य |
| 5 | माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| 6 | माननीय मंत्री आयोजना विभाग | सदस्य |
| 7 | माननीय मंत्री जनजाति क्षेत्र विकास विभाग | सदस्य |
| 8 | माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग | सदस्य |
| 9 | माननीय मंत्री उद्योग विभाग | सदस्य |
| 10 | माननीय मंत्री कृषि विभाग | सदस्य |
| 11 | माननीय मंत्री राजस्व विभाग | सदस्य |
| 12 | अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण | सदस्य |
| 13 | मुख्य सचिव | सदस्य |
| 14 | अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग | सदस्य |
| 15 | अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग | सदस्य |
| 16 | प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 17 | प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग | सदस्य |
| 18 | शासन सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग | सदस्य |
| 19 | शासन सचिव, आयोजना विभाग | सदस्य |
| 20 | शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी व भू जल विभाग | सदस्य |
| 21 | शासन सचिव, जल संसाधन विभाग | सदस्य |
| 22 | दो विषय विशेषज्ञ, (एक जल संसाधन आयोजना व एक जलग्रहण विकास कार्यों के कम से कम 20 वर्षों का अनुभव) | सदस्य |
| 23 | प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग | सदस्य सचिव |

(B) अभियान के उददेश्य

1. राज्य में प्राप्त विभिन्न वित्तीय संसाधनों (केन्द्रीय, राज्य, कॉर्पोरेट जगत, ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठन एवं जन सहयोग) का कनवरजेन्स कर जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी कियान्वयन करना।
2. ग्रामीणों एवं लाभान्वितों को जल के समुचित उपयोग के बारे में जागृत कर जनसहभागिता से कार्य सम्पादित कराना।
3. ग्राम स्तर पर ग्रामसभा में जल की समग्र आवश्यकता यथा पेयजल, सिंचाई, पशुधन व अन्य व्यवसायिक कार्यो हेतु आंकलन कर उपलब्ध समस्त स्त्रोतों से प्राप्त जल के अनुरूप जल बजट का निर्माण कर उसी के अनुरूप कार्यो का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव पारित कर अभियान की ग्राम कार्य योजना तैयार करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल प्रवाह (वर्षा जल, सतही जल, भू गर्भीय जल एवं मिट्टी की नमी) को जल भराव क्षेत्रों की क्षमता को विकसित कर रोकना जिससे जिले में उपलब्ध जल संग्रहण ढांचों का उपयोग, अनुपयोगी जल ढांचों का पुनरूद्धार/कायाकल्प कर क्रियाशील करना एवं नये जल संग्रहण ढांचों का निर्माण करना।
5. जलग्रहण क्षेत्र/कलस्टर/इनडैक्स कैचमेन्ट को इकाई मानते हुए प्राकृतिक संसाधन संवर्धन कर जल, जंगल, जमीन, जन एवं जानवर का विकास करना।
6. ग्राम को जल आत्म निर्भर बनाकर पेयजल का स्थाई समाधान करना।
7. क्षेत्रों में जल संग्रहण एवं संरक्षण कर सिंचाई क्षेत्रफल को बढाना।

(C) राज्य स्तरीय निर्देशन समिति

राज्य स्तर पर अभियान के सुचारू कियान्वयन हेतु राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण के चैयरमेन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्देशन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण | अध्यक्ष |
| 2 | मुख्य सचिव | सदस्य |
| 3 | अतिरिक्त मुख्य सचिव, वेवस्थान विभाग | सदस्य |
| 4 | अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं पशुपालन विभाग | सदस्य |
| 5 | अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग | सदस्य |
| 6 | प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| 7 | प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 8 | प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग | सदस्य |

हेतु समय–समय पर जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित करना।

7. क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का निराकरण करना।
8. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण कार्यों हेतु कॉर्पोरेट जगत एवं गैर सरकारी संस्थाओं के संसाधनों को उपयोग में लेने हेतु प्लान तैयार करना।
9. अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित करना।
10. समुचित आईईसी गतिविधियों एवं कार्यों के त्वरित सम्पादन हेतु जिला कलेक्टर के साथ समन्वय स्थापित करना।
11. कार्यों के मूल्यांकन हेतु स्वतन्त्र ऐजेन्सी की व्यवस्था करना (यदि आवश्यक हो तो)।

राज्य में नदी बेसिन आधार पर जल संसाधनों को विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण गठित किया गया है। अभियान के उद्देश्यों एवं उक्त प्राधिकरण के उद्देश्यों में समानता होने के दृष्टिगत राज्य निर्देशन समिति राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को अभियान की गतिविधियों के नियमित समीक्षा हेतु अधिकृत करेगी।

(D) <u>जल स्वावलम्बन अभियान टास्क फोर्स</u>

अभियान की कार्य योजना, विभिन्न विभागों के कार्यों में अभिसरण एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु जल स्वावलम्बन अभियान टास्क फोर्स का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| 2 | अतिरिक्त मुख्य सचिव, देवस्थान विभाग | सदस्य |
| 3 | अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं पशुपालन विभाग | सदस्य |
| 4 | अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग | सदस्य |
| 5 | प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| 6 | प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 7 | प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग | सदस्य |
| 8 | शासन सचिव, आयोजना विभाग | सदस्य |
| 9 | शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भू जल विभाग | सदस्य |
| 10 | शासन सचिव, जल संसाधन विभाग | सदस्य |
| 11 | शासन सचिव, राजस्व विभाग | सदस्य |
| 12 | शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | संभागीय आयुक्त, समस्त | सदस्य |
| 14 | आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा योजना | सदस्य |
| 15 | निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग | सदस्य |
| 16 | निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग | सदस्य |
| 17 | शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग | सदस्य सचिव |

टास्क फोर्स के कार्य

1. अभियान के प्रभावी कियान्वयन हेतु आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करना।
2. अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित करना।
3. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों में राशि का अभिसरण ( convergence of funds ) सुनिश्चित करवाना।

(E) जिला प्रभारी मंत्री स्तर पर कार्यो की समीक्षा

जिलों में अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा हेतु संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तर पर निम्नानुसार समीक्षा समिति का गठन किया जाता है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | जिले के प्रभारी मंत्री | अध्यक्ष |
| 2 | जिले के विधायकगण | सदस्य |
| 3 | जिला प्रमुख | सदस्य |
| 4 | जिला कलक्टर | सदस्य |
| | विभागों के जिला स्तर पर पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी | |
| 5 | कृषि एवं उद्यान विभाग | सदस्य |
| 6 | जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग | सदस्य |
| 7 | उद्योग विभाग | सदस्य |
| 8 | वन विभाग | सदस्य |
| 9 | देवस्थान विभाग | सदस्य |
| 10 | जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग | सदस्य |
| 11 | पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| 12 | जल संसाधन विभाग | सदस्य |
| 13 | महात्मा गाँधी नरेगा योजना | सदस्य |
| 14 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद | सदस्य सचिव |

अभिसरण करवाकर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है। वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विशेषज्ञों को मनोनीत करने का अधिकार जिला कलक्टर को होगा। जिला स्तरीय समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | जिला कलक्टर | अध्यक्ष |
| 2 | जिला जन सम्पर्क अधिकारी | सदस्य |
| | विभागों के जिला स्तर पर पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी | |
| 3 | कृषि विभाग | सदस्य |
| 4 | पशुपालन विभाग | सदस्य |
| 5 | उद्यान विभाग | सदस्य |
| 6 | पर्यावरण विभाग | सदस्य |
| 7 | वन विभाग ** | सदस्य |
| 8 | देवस्थान विभाग | सदस्य |
| 9 | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | सदस्य |
| 10 | भू जल विभाग | सदस्य |
| 11 | जल संसाधन विभाग | सदस्य |
| 12 | आयोजना विभाग | सदस्य |
| 13 | सांख्यिकी विभाग | सदस्य |
| 14 | उद्योग विभाग | सदस्य |
| 15 | जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग | सदस्य |
| 16 | अतिरिक्त जिला समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा योजना | सदस्य |
| 17 | दो पंजिकृत गैर सरकारी संस्थाएं (जिला कलक्टर द्वारा मनोनित) | सदस्य |
| 18 | दो विषय विशेषज्ञ, (एक जल संसाधन आयोजना व एक जलग्रहण विकास कार्य) | सदस्य |
| 19 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद | सदस्य सचिव |

** जिन जिलों में वन विभाग का कलस्टर/वन विभाग की जलग्रहण परियोजनाएं स्वीकृत है, उनके परियोजना के उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक परियोजना आमंत्रित सदस्य होंगे।

जिला स्तरीय समिति के कार्य

1. अभियान के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रबोधन एवं समीक्षा करना।
2. राज्य निर्देशन समिति एवं टास्क फोर्स को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।

3. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण कार्यों हेतु कॉर्पोरेट जगत एवं गैर सरकारी संस्थाओं के संसाधनों के उपयोग हेतु व्यवस्था करना।
4. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों में राशि का अभिसरण (convergence of funds) सुनिश्चित करवाना।
5. जिला कार्य योजना से अभियान के लिये उपलब्ध राशि में से कार्य स्वीकृत करना।

(G) ब्लॉक स्तरीय समिति

ब्लॉक स्तर पर प्रबोधन एवं समीक्षा हेतु उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता हैं :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | उप खण्ड अधिकारी | अध्यक्ष |
| | विभागों के ब्लॉक स्तर पर पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी | |
| 2 | कृषि विभाग | सदस्य |
| 3 | पशुपालन विभाग | सदस्य |
| 4 | उद्यान विभाग | सदस्य |
| 5 | वन विभाग** | सदस्य |
| 6 | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | सदस्य |
| 7 | जल संसाधन विभाग | सदस्य |
| 8 | भू जल विभाग | सदस्य |
| 9 | उद्योग विभाग | सदस्य |
| 10 | दो पंजिकृत गैर सरकारी संस्थाएं (जिला कलक्टर द्वारा मनोनित) | सदस्य |
| 11 | सहायक अभियंता, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण | सदस्य |
| 12 | विकास अधिकारी, पंचायत समिति | सदस्य सचिव |

** जिन जिलों में वन विभाग की (नाबार्ड, जायका आदि) योजनाएं स्वीकृत हैं, उनके परियोजना के क्षेत्रिय वन अधिकारी परियोजना आमंत्रित सदस्य होंगे।

ब्लॉक स्तरीय समिति का कार्य

1. अभियान के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रबोधन एवं समीक्षा करना।
2. जिला स्तरीय समिति को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
3. अभियान के उददेश्यों के आधार पर ग्राम कार्य योजनाओं तैयार करना एवं ब्लॉक के संकलित प्लान को जिला समिति को प्रस्तुत करना।

14 विशिष्ठ सहायक, अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर।
15 निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा (समस्त)
16 वरिष्ठ उप सचिव, सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर।
17 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, उद्यान एवं पशुपालन विभाग।
18 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग।
19 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, देवस्थान विभाग।
20 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
21 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग।
22 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
23 निजी सचिव, शासन सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग।
24 निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
25 निजी सचिव, शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी व भू जल विभाग।
26 निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
27 निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
28 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
29 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
30 निजी सचिव, संभागीय आयुक्त समस्त
31 निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर।
32 निजी सचिव, निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
33 निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर।
34 जिला कलक्टर समस्त
35 जिला प्रमुख समस्त
36 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त विकास अधिकारियों एवं अन्य सभी विभागीय अधिकारियों को आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।
37 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभागाधिकारी